कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः 5B/Budget (NP)-Training/05/2015-16 दिनांकः

प्रेषकः **बी0सी0 निगम, भा0व0से0,**
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

श्री सुरेश लकड़ा,
अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची।

विषयः **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर–योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या–19, मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01–वानिकी, 003–शिक्षा तथा प्रशिक्षण "02– वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण" उपशीर्ष में राशि की आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः– **वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक–29 / बी0टी0ई0–18 / 2014–15 / 300 / बजट रांची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक – 7 / यो0ब0–24 / 2015–2026 व0प0, रांची, दिनांक 17.04.2015, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, सरकार का पत्र सं0–29 / बी0टी0 / 04 / 2015–16 / 796, दिनांक 22.12.2015 एवं जैप आई0टी0, झारखंड, रांची का पत्रांक 109, दिनांक 11.01.2016 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में **"02– वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण"** उपशीर्ष के **29–व्यवसायिक सेवायें** इकाई में रू0 5,19,400 / – की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार रांची के पत्रांक–29 / बी0टी0ई0–18 / 2014–15 / 300 / बजट रांची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक– 7 / यो0ब0–24 / 2015–2026 व0प0, रांची, दिनांक 17.04.2015, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, सरकार का पत्र सं0–29 / बी0टी0 / 04 / 2015–16 / 796, दिनांक 22.12.15 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या–एम0–4–05 / 98 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4–23 / 2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन जैप आई0टी0 के पत्रांक 109, दिनांक 11.01.16 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में वाह्य स्त्रोत के आधार पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर्स का बकाया पारिश्रमिक राशि तथा अगले 6 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जैप आई0टी0 को किया जायेगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या– **BPCTFE/02-15-16/11TFE** की मूल प्रति अत्र–सह–संलग्न है।

अनु0–यथो0 /

विश्वासभाजन,
ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक **दिनांक**

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा को आवंटन आदेश पत्र की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची

ज्ञापांक - 359 **दिनांक** 05.02.2016

प्रतिलिपि– Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची

E/L

jharkhand sarkar

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वितीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPCTFE/02-15-16/11TFE

दिनांक - 01-Feb

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601003020329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 003 - शिक्षा तथा प्रशिक्षण 02 - वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 29 - व्यवसायिक सेवा	92361	DRNFWL001 SURESH LAKRA UNDER SECT.PCCF,OFFICE JAHRKHA	519,400.00 रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार चार सौ

योग: 519,400.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार चार सौ

(B. C. NIGAM)
Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 1/2/2016

PIT

Jharkhand Agency for Promotion of Information Technology
(An Autonomous body under Department of Information Technology, Govt. of Jharkhand)
Ground Floor, Engineer's Hostel – I, Near Golchakkar, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand
Phone. 0651-2401040, 2401067 Fax.- 0651-2401040

पत्रांक 109 दिनांक 11/01/2016

झारखण्ड सरकार
15 JAN 2016
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड
संख्या 498

प्रेषक

श्री राज कुमार गुप्ता,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जैप–आई०टी० ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन भवन, डोरण्डा, रॉंची, झारखण्ड ।

विषय : वाह्य स्त्रोत के आधार पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर्स का बकाया पारिश्रमिक राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 784 दिनांक 08/04/2015.

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्राप्त राशि के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डोरण्डा, रॉंची के कार्यालय हेतु दो चरण में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवा उपलब्ध कराया गया है। अनुपस्थिति विवरणी में अंकित तिथि के आधार पर बकाया भुगतेय राशि की गणना निम्नवत् है :–

डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	विस्तारित अवधि	माह	भुगतेय दर @17435/–प्रति माह प्रति DEO	कुल राशि (रू0)
1. सुश्री जोसफिन कच्छप 2. श्री राजू पाण्डेय	26.05.2015 से 25.11.2015	06 माह	@17435X02X06months =2,09,220/-	2,09,220/-
3. सुश्री निधि कुमारी 4. श्री मनीष बड़ाईक	05.06.2015 से 04.12.2015	06 माह	@17435X02X06months =2,09,220/-	2,09,220/-
कुल राशि चार लाख अठारह हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र				4,18,440/-
प्राप्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 098603 दिनांक 31.03.15 कुल राशि 348185/–				**(-) 3,48,185.00**
बकाया राशि				**1,00,870.00**

अतः कुल राशि रू0 1,00,870/- (एक लाख आठ सौ सतर रूपये) मात्र का भुगतान Chief Executive Officer, JAP-IT, Ranchi के नाम ड्राफ्ट या RTGS के माध्यम से जैप–आई०टी० के निम्न खाते में राशि अन्तरण किया जायः–

A/c Name	JAP-IT A/c Outsource –TMP
Name of the Bank	Bank of India
Branch name	Ranchi Main Branch
A/C no.	490010100039009
IFSC Code	BKID0004900
Contact No.	9430343473
e-mail Id	tmp.japit@gmail.com

अतः उपरोक्त कर्मियों की सेवा अंकित तिथि के गणना आधार के शीघ्र राशि उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जैप–आई०टी०।